न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

बईजलास ओम प्रभा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर कोटपूतली

प्रार्थना पत्र संख्या – 25/2017

रामनारायण पुत्र श्री रूडा जाति अहिर निवासी धालेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1. रामवतार पुत्र रूडा जाति चमार निवासी धालेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
2. स्टेट बैक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
3. श्रीमान नायब तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)
4. श्रीमान तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक :

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1764/0.51, 1765/0.51, 1786/0.21, 1789/0.79, 1795/0.28, 1927/1.88, 1928/0.02, 2649/0.87, 2651/0.56, 2664/0.72 वाके मौजा भूरी भडाज तहसील कोटपूतली के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एवं वाद पत्र में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार है एवं मौके पर काष्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य आराजी विवादास्पद का बिना बंटवारा करवाये दीगर लोगो को बेचान करने की प्रार्थी को धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समझाया किन्तु नही मानता तथा इनकारी है तथा बिना बंटवारा बेचान करने पर उतारू है। जिसका कोई हक एवं अधिकार नही है। अप्रार्थी को पाबन्द नही किया गया तो वे अपने मन्सुबो में कामयाब हो जावेगे तथा तरतीबी प्रतिवादी को अकथनीय क्षति होगी जिसकी द्रव्य में क्षतिपूर्ति नही की जा सकेगी। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावे।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 मय अधिवक्ता श्री रामनिवास यादव ने जबाब पेष किया कि उक्त पैत्रक आराजी का प्रार्थी, मिन अप्रार्थी के पिता रूडाराम व भूराराम, श्योदीन पुत्रान जोधाराम ने बुजुर्गान के समय से आपस में बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा उसी बंटवारे के आधार पर प्रार्थी, मिन अप्रार्थी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काष्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काष्त है। मिन अप्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काष्त है तथा इनको अपने हिस्से की आराजी बेचान करने का पूर्ण हक हांसिल है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

शेष अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की तामील होने के बावजुद उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने वकुलाये की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार है एवं मौके पर काष्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य आराजी विवादास्पद का बिना बंटवारा करवाये दीगर लोगो को बेचान करने की प्रार्थी को धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को समझाया किन्तु वे अपनी चाल से बाज नही आ रहे है तथा बिना बंटवारा बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी का बेचान दीगर को कर दिया तो प्रार्थी को क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जो पैत्रक भूमि का प्रार्थी, मिन अप्रार्थी के पिता रूडाराम व भूराराम, श्योदीन पुत्रान जोधाराम ने बुजुर्गान के समय से आपस में बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा उसी बंटवारे के आधार पर प्रार्थी, मिन अप्रार्थी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काष्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काष्त है। मिन अप्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काष्त है तथा इनको अपने हिस्से की आराजी बेचान करने का पूर्ण हक हांसिल है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। स्थगन प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दुओ पर विचार करना आवष्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया केस – उपरोक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण में विचाराधीन वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है तथा वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 सहखातेदार होना स्वीकार किया है तथा अपनी बहस में कथन किया है कि

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अप्रार्थी भूमि का बिना बंटवारा किये आराजी विवादास्पद को बेचान करने को उतारू है। अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार काष्तकार है तथा सहकाष्तकार को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग व बेचान आदि करने का पुरा पुरा हक हांसिल है जिसके लिए वह पूर्णतया स्वतन्त्र है। सहखातेदार दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नही ला सकता है। प्रार्थी उक्त बिन्दु को साबित करने में असफल रहा है।

2. सुविधा का संतुलन :– प्रकरण मे विचाराधीन आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार काष्तकार है। उभय पक्षो को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि को काष्त करने व बेचान आदि करने का पुरा पुरा हक है एवं उनके हिस्से की भूमि पर उनहे पाबन्द किया जाना किसी भी सुरत मे न्यायोचित नही है। प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा उक्त प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी के पक्ष मे है।

3. अपूरणीय क्षति :– प्रकरण में विचाराधीन आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काष्तकार है तथा अप्रार्थी को यदि पाबन्द किया जाता है तो उनके हिस्से में उनके उपयोग व उपभोग व बेचान आदि करने में परेषानी उत्पन्न होगी। अप्रार्थी के हिस्से में प्रार्थी को किसी प्रकार के हक हांसिल नही होता है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से का उपयोग उपभोग एवं बेचान करने से प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई हानि होने का अंदेषा नही है। उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध तैय किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी उक्त तीनो बिन्दुओ को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट पक्षसिद्धी के अभाव में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)